ऑन लाईन नं.RCMS2018/00143

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 59/2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द बलाना, निवासी वार्ड नम्बर 11, गांधी पार्क पास, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर।
   मै0 टेकचन्द एण्ड संस, तहबाजार, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अनिल कुमार पुत्र श्री किशोरीलाल लड्ढा, निवासी वार्ड नम्बर 16, पुराना बाजार, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर
   मै0 बी.डी. इंडस्ट्रीज, जी–75, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(2)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 06.08.2018

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2017 को दोपहर बाद 3.00 बजे वास्ते निरीक्षण फर्म **मै0** टेकचन्द एण्ड संस, तहबाजार, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां पर राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द बलाना, निवासी वार्ड नम्बर 11, गांधी पार्क पास, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म पर राजकुमार पुत्र टेकचन्द बलाना खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **बेसन (भोजन सम्राट)** विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **बेसन (भोजन सम्राट)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तो किरयाना स्टोर में 11 सील्ड प्लास्टिक पाउच,

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्रत्येक पाउच 500 ग्राम **बेसन (भोजन सम्राट)** आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें से 4 सिल्ड प्लास्टिक पाउच **बेसन (भोजन सम्राट)** जांच के लिए खरीद की, **बेसन (भोजन सम्राट)** की कीमत 170/–रू (अखरे रूपये एक सौ सत्तर मात्र) अदा की एवं खरीदी रसीद तैयार की, तथा उपस्थित गवाहान श्री डा. सुनील बिश्नोई एवं रणजीत कुमार के हस्ताक्षर करवाये। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री राजकुमार एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा बेसन (भोजन सम्राट) को 4 सील्ड पाउच पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक के–849 एवं अन्य विवरण दर्ज कियाय और लेबलो पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–849 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फ़ार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/2434/एक्ट/2017/2506 दिनांक 08.11.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–849 **बेसन (भोजन सम्राट) अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजकुमार पुत्र श्री टेकचन्द बलाना, निवासी वार्ड नम्बर 11, गांधी पार्क पास, श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **बेसन (भोजन सम्राट)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **बेसन (भोजन सम्राट)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Misbranded Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **बेसन (भोजन सम्राट)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बेसन (भोजन सम्राट)** का सैम्पल के–849 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/ 2434/एक्ट/2017 /2506 दिनांक 08.11.2017 द्वारा (Substandard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा **2(2)/52** के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **बेसन (भोजन सम्राट)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Misbranded Food) पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **बेसन (भोजन सम्राट)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के प्रकाश में, यह मानते हुए कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त राजकुमार पर (Misbranded Food) **बेसन (भोजन सम्राट)** विक्रय करने पर धारा 52 के तहत शास्त्रि 3000/–रूपये (अखरे रूपये तीन हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **बेसन (भोजन सम्राट)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **बेसन (भोजन सम्राट)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/18

(नखतदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर